

उल्लंघन पत्र

रजि.डी. ए.

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

दूसरी मंजिल, जी.एस.आई. फ़िल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट -विधानसभा,
रायपुर -(ग.छ)-492005, टेलीफ़ेक्स 0771-2282530, 2285595, Email-ro.raipur.ibm@gmail.com

स CHG/RAP/LST-49 / 38MPR28017

दिनांक-

06/12/2016

प्रेषित.	श्री वी डी माली,	Shri V.D Mali, Agent
	एजेंट, परसवानी चुना पत्थर खदान	Paraswani Limestone Mines
	सर्वश्री अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड	UltraTech Cement limited
	हिरमी सीमेंट वर्क्स	Hirmi Cement Works
	पोस्ट- हिरमी, जिला- बलोदा बाजार भाटापाड़ा	PO – Hirmi, Dist-BalodaBazar-
	छत्तीसगढ़ - (493195)	Bhatapara 493195 (CG)

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाजार जिले मे स्थित आपकी परसवानी चुना पत्थर खदान 997.355 हे
मे खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के नियमो के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 23/11/2016 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री वी डी
माली, खान एजेंट की उपस्थिति मे किया गया तथा खान के निरीक्षण मे पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं
विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
16(3)	Dumping of overburder/waste is not being concurrently carried out in already worked out area and new area is being used for this purpose. Dumping of overburden/waste shall be backfilled as far as possible.

- 3 इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमो का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं
विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की
अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के
नियम 58 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- 4 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की
स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को
सूचित करें।

भवदीय

(बी. एल. गुर्जर)

उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी
क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि : —

- खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल
कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

(बी.एल.गुर्जर)

उप खान नियंत्रक